सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1842/MP/486/2024-RO-BH **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एंव जिलाधिकारी,
जिला-सिंगरौली,
कलेक्टर कार्यालय,
सिंगरौली, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmsingrauli@mp.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-सिंगरौली,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
सिंगरौली, मध्य प्रदेश
ई-मेल: sp_singrauli@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03-09-2024 को प्रकाशित खबर "आदिवासी ने रोका तो माफिया ने रेत का ट्रैक्टर चढाकर मार डाला" के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1842/MP/486/2024-RO-BH
दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "आदिवासी ने रोका तो माफिया ने रेत का ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डाला" के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03.09.2024 को प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला-सिंगरौली में अवैध रेत खनन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा एक अनुसूचित जनजाति युवक श्री इंद्रपाल (उम्र लगभग 35 वर्ष) की कथित रूप से हत्या कर दी गई। समाचार में उल्लेख किया गया कि आरोपी गन्नई गांव स्थित पटीर नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन कर रहे थे तथा उक्त ट्रैक्टर इंद्रपाल के खेत से होकर गुजर रहा था।
3. प्रकाशित समाचार के अनुसार जब इंद्रपाल द्वारा अपनी फसल को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपियों द्वारा पहले उनके साथ मारपीट की गई तथा तत्पश्चात ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाए जाने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई।
4. समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के विरोध में परिजन एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में थाना पहुंचे तथा आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस ट्रैक्टर से घटना कारित की गई, वह स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित है। समाचार के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया तथा लगभग 26 घंटे पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई।
5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.09.2024 को कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, सिंगरौली तथा पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, सुनवाई की तिथि तक संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. सुनवाई दिनांक के दिन उपस्थित प्राधिकारी नायब तहसीलदार ने आयोग को अवगत कराया कि न्यायिक हिरासत में चालक तथा मालिक को लिया जा चुका है तथा कार्रवाही प्रगति में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्राधिकारी को अवगत कराया कि क्योंकि वह चालक घर का एक मात्र कमाऊ व्यक्ति था तथा उसकी मृत्यु के बाद घर का भरण पोषण की भी चिंता उत्पन्न हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त घटना के 2 साल बीत जाने के बावजूद जांच पूर्ण ना होने पर चिंता व्यक्त की जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 60 दिनों में जांच पूर्ण कर लिया जाना आवश्यक है।
7. आयोग ने संज्ञान लिया कि मामला अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु, अवैध खनन गतिविधियों तथा कथित रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता से संबंधित गंभीर प्रकृति का है। आयोग ने यह भी गंभीरता से लिया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद संबंधित जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
8. सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं समाचार में प्रकाशित तथ्यों का अवलोकन किया गया। आयोग ने पाया कि यदि समाचार में वर्णित तथ्य सही हैं तो प्रकरण अत्यंत गंभीर है तथा इसमें हत्या, अवैध खनन गतिविधियों, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के अधिकारों के हनन तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसाएं कीं –

(i) कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, सिंगरौली तथा पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली आयोग द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन करते हुए प्रकरण से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन, प्राथमिकी की प्रति, विवेचना की वर्तमान स्थिति, आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेख 15 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

(ii) जिला प्रशासन यह स्पष्ट करे कि मृतक इंद्रपाल के आश्रितों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अन्य लागू शासकीय योजनाओं के अंतर्गत देय राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है अथवा नहीं।

(iii) पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाई की जाए तथा इसकी अद्यतन स्थिति आयोग को अवगत कराई जाए।

(iv) प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट आयोग को 15 दिन के अंदर भेजी जाये।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-।

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1842/MP/486/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03-09-2024 को प्रकाशित खबर "आदिवासी ने रोका तो माफिया ने रेत का ट्रैक्टर चढाकर मार डाला" के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेकानंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एंव जिलाधिकारी, जिला-सिंगरौली,

कलेक्टर कार्यालय, सिंगरौली, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	कमलेश कुमार मिश्रा	नायब तहसीलदार	09752201892	[signature]
2				
3				
4				

पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली,

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिंगरौली, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				